**भारत सरकार**

**विदेश मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 2460**

दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

**अवैध आप्रवासन रैकेट पर रोक**

2460. श्री डॉ आनन्द कुमार गोंड

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में चल रहे अवैध प्रवासन रैकेटों की जानकारी है जो धोखाधड़ी से भारतीय नागिरकों को विदेश भेजकर उन्हें वित्तीय नुकसान पहुंचातें हैं और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुंचाते  हैं;
(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने ऐसे रैकेट को रोकने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं;
(ग) इस संबंध में की-गई- कार्रवाई में हुई प्रगति तथा अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) भविष्य में अवैध प्रवासन रैकेटों  पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त उपाय प्रस्तावित हैं?

**उत्तर**

**विदेश  राज्य मंत्री**

**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क से घ) सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी मिली है जिनमें फर्जी भर्ती प्रस्तावों में शामिल संदिग्ध संस्थाओं ने भारतीय नागरिकों को मुख्यतः सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से विभिन्न देशों में रोजगार के लिए लुभाया है। मंत्रालय को देश में अवैध/बेईमान भर्ती एजेंटों की

ऐसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की जानकारी तब मिलती है जब पीड़ित प्रवासी या उनके रिश्तेदार/मित्र/परिवार के सदस्य, जो ठगे गए हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं, क्योंकि ये भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से धोखाधड़ी करने वाले/बेईमान भर्ती एजेंटों और अवैध चैनलों के माध्यम से विदेश जाते हैं।

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति/एजेंसी पंजीकरण प्राधिकारी, अर्थात् प्रवासी महासंरक्षक (पीजीई) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के बिना भर्ती एजेंट (आरए) के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। अवैध प्रवासन/मानव तस्करी की शिकायतें प्राप्त होने पर, ऐसे मामलों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और अन्य लागू कानूनों के प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत जांच और अभियोजन के लिए राज्य पुलिस को भेजा जाता है।

मंत्रालय फर्जी नौकरी के रैकेटों के खतरों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में ई-माइग्रेट पोर्टल, सोशल मीडिया और प्रचार के अन्य माध्यमों से परामर्शी जारी करता है। जनवरी 2026 तक, 3,505 अपंजीकृत एजेंटों की एक सूची, जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, भावी प्रवासियों को सतर्क करने के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल पर प्रकाशित की गई है। मंत्रालय द्वारा ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित और वैध प्रवास के बारे में जागरूकता अभियान देश भर में कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों, सूचना सत्रों और मीडिया समूहों, पुलिस अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन, इच्छुक भर्ती एजेंटों, उद्यमियों और आम जनता के लिए डिजिटल अभियानों के माध्यम से चलाया गया है। इन सत्रों के दौरान, प्रवास विनियमों, प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई), प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी) जैसी प्रवासियों के लिए लाभकारी योजनाओं, ई-माइग्रेट पोर्टल और भारतीय दूतावासों द्वारा जारी विभिन्न परामर्शी के बारे में सभी हितधारकों को जागरूक किया जाता है।

विदेश मंत्रालय के  प्रवासी महासंरक्षक  (पीजीई), भारत भर में 16 प्रवासी संरक्षकों (पीओई) के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ अवैध भर्ती एजेंसियों से संबंधित मुद्दों और प्रवास नियमों एवं विनियमों के प्रवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए नियमित रूप से समन्वय करते हैं। मंत्रालय सुरक्षित और कानूनी प्रवास के लाभों के बारे में विभिन्न हितधारकों को जागरूक करने और फर्जी/अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों के माध्यम से अवैध प्रवास को रोकने के उपाय सुझाने के

लिए नियमित रूप से ऐसे आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है। अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों के बारे में नियमित सूचना साझा करने के अतिरिक्त , राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विदेश में रोजगार से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की जानकारी प्रतिभागियों के साथ साझा की जाती है।

*****